

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1938 / 2024 दिनांक : 30.03.2024


श्री प्रशान्त पूनिया (RJ01106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

- दिनांक 20.02.2024 से 22.02.2024 तक 03 दिनों का *उपार्जित* अवकाश।
- दिनांक 28.02.2024 से 02.03.2024 तक 04 दिनों का *परावर्तित* अवकाश
दिनांक 03.03.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री पूनिया की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) के पद पर ही की गई।


आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/94/2016/ 2460 दिनांक 30.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 2767/3087 दिनांक 27.02.2024/04.03.2024 के सन्दर्भ में।
- श्री प्रशान्त पूनिया (RJ01106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक)।
- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक)।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक)।


सहायक रजिस्ट्रार